भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 649

सोमवार, 6 फरवरी, 2023/17 माघ, 1944 (शक)

पश्चिम बंगाल में ईएसआई अस्पताल/डिस्पेंसरी

649. श्रीमती नुसरत जहां:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पश्चिम बंगाल राज्य में कितने जिलों में कोई ईएसआई डिस्पेंसरी या ईएसआईसी अस्पताल नहीं है;

(ख) पश्चिम बंगाल में असंगठित क्षेत्र में कुल कितने कर्मचारी कार्यरत हैं जिन्हें पिछले तीन वर्षों से ईएसआई डिस्पेंसरियों और ईएसआईसी अस्पतालों द्वारा स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान की जा रहीं है;

(ग) क्या सरकार का पश्चिम बंगाल में और अधिक ईएसआईसी अस्पताल स्थापित करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(श्री रामेश्वर तेली)

(क) से (घ): वर्तमान में, पश्चिम बंगाल राज्य के झारग्राम जिले में कोई कर्मचारी राज्य बीमा (ईएसआई) अस्पताल या डिस्पेंसरी नहीं है।

कर्मचारी राज्य बीमा (ईएसआई) अधिनियम, 1948, 21000/- रु. (दिव्यांग व्यक्तियों के लिए 25,000/- रु.) तक का वेतन पाने वाले दस या अधिक कर्मचारियों वाले कारखानों और प्रतिष्ठानों पर लागू होता है। ऐसे तो, अधिनियम असंगठित क्षेत्र पर लागू नहीं होता है। दिनांक 31.03.2022 की स्थिति के अनुसार, पश्चिम बंगाल राज्य में 18,35,310 बीमित व्यक्तियों सहित कुल 71,21,003 ईएसआई लाभार्थी थे।

ईएसआई निगम ने पश्चिम बंगाल राज्य में निम्नलिखित स्थानों पर 100 बिस्तर वाले ईएसआई अस्पतालों की स्थापना हेतु सैद्धांतिक रूप से अनुमोदन दे दिया है:

1. सिलीगुड़ी
2. हल्दिया
3. गरश्यामनगर
4. खड़गपुर

****